

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)



अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सैथल जिला दोसा राजस्थान

गिराज

बनाम

बच्ची

किरम मुकदमा : वाद पत्र अन्तर्गत तकारमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 86/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9.12.2025	<p>वादीगण अधिवक्ता श्री कमलेश कुमार मीना एड. उपस्थित। वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण के तलबी सम्मन रजिस्टरर्ड ए0डी0 पेश करने पर जारी होकर पत्रावली दिनांक 22.12.2025 को पेश हों।</p> <p><i>उपखण्ड अधिकारी सैथल</i></p>	
21/12/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी उपस्थित है। प्रतिवादी गण के तलबी सम्मन रजि0 ए0 पेश करने पर जारी होकर पत्रावली दिनांक 16/1/2026 को पेश हो।</p>	
16/1/2026	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी मय अधिवक्ता अनुपस्थित है। वादी व वादी अधिवक्ता को न्यायालय में बार-बार रुक-रुककर आवान किलवाई गई, परन्तु न्यायालय समय तक न्यायालय में कोई भी उपस्थित नहीं आये। अतः वादी का वाद पत्र आदेश 9 नियम 8 के अन्तर्गत अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल सुमार होकर नम्बर से नम हो तथा दफ्तर दारख्त हो।</p> <p><i>उपखण्ड अधिकारी सैथल</i></p>	